न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सोनभद्र।

उपस्थितिः– अनिल कुमार खरवार, उ0प्र0 न्यायिक सेवा.,

दंडवाद संख्या–122/ 2016 मु0अ0सं0–85/ 2015

राज्य बनाम धर्मेन्द्र कुमार

धारा–406, 419, 420, 467, 504, 506 भा0दं0सं0

थाना–करमा, जनपद सोनभद्र।

–: आरोप :–

मैं, अनिल कुमार खरवार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र आप अभियुक्त धमेन्द्र कुमार को निम्न आरोप से आरोपित करता हूंः–

प्रथमः– यहकि वादी गौतम सिंह ने एक ट्रैक्टर न्यू हालैण्ड रजि0 नं0–64एन–3843 को अपने तथा अयोध्या सिंह के नाम से क्रय किया था। वादी ने दिनांक 03.06.2014 को उक्त ट्रैक्टर 15हजार रूपये माहवार की दर से आपको चलाने के लिए दिया। वादी द्वारा किराये का पैसा मांगने पर उसे आपने किराये का पैसा अदा नहीं किया। जिससे वादी को आर्थिक क्षति पहुंची। इस प्रकार आपने आपराधिक न्यास भंग किया। आपका यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा–406 के अंतर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः– यहकि वादी मुकदमा का उपरोक्त ट्रैक्टर जिसे वादी ने आपको किराये पर दिया था। आपने वादी को ट्रैक्टर का किराया अदा नहीं किया और बदनियतीवश वादी का ट्रैक्टर अपने नाम करवा लिया। इस प्रकार आपने बेईमानी से वादी से छल कारित किया। आपका यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा–420 के अंतर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः– यहकि वादी मुकदमा का उपरोक्त ट्रैक्टर जिसे वादी ने आपको किराये पर दिया था। आपने वादी को ट्रैक्टर का किराया अदा नहीं किया और बदनियतीवश वादी का ट्रैक्टर अपने नाम करवा लिया। इस प्रकार आप लोगों ने प्रतिरूपण द्वारा छल कारित किया गया। आप लोगों का यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा–419 के अंतर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः– यहकि वादी मुकदमा का उपरोक्त ट्रैक्टर जिसे वादी ने आपको किराये पर दिया था। आपने वादी को ट्रैक्टर का किराया अदा नहीं किया और बदनियतीवश वादी का कूट रचित दस्तावेज तैयार करके ट्रैक्टर अपने नाम करवा लिया। इस प्रकार आपने प्रतिरूपण द्वारा छल कारित किया गया। इस प्रकार आपने बेईमानी से मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना की। आपका यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा–467 के अंतर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचमः यहकि वादी द्वारा आपसे अपना ट्रैक्टर एवं किराये का पैसा मांगने पर आपने वादी को प्रकोपित करने के आशय से गालियां देकर सासय अपमानित किये। आपका यह कृत्य भा0दं0सं0 की धारा–504 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्टमः यहकि आपने वादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा–506 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांकः 04.01.2017

(अनिल कुमार खरवार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांकः 04.01.2017

(अनिल कुमार खरवार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सोनभद्र।

—:आदेश:—

06.01.2017

अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार की ओर से मु0नं0—122/ 2016 राज्य बनाम धर्मेन्द्र कुमार के मामले में उसके विरूद्ध निर्गत गैर जमानती वारण्ट का आदेश रिकाल किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

आधार पर्याप्त है।

तद्नुसार अभियुक्त द्वारा रू0 20हजार की पी0बी0 दाखिल करने पर इस शर्त के साथ गैर जमानती वारण्ट का आदेश रिकाल किया जाता है कि वह प्रत्येक तिथि पर न्यायालय उपस्थित आता रहेगा।

ए0सी0जे0एम0, सोनभद्र।